अध्याय IV: लेखों की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग

प्रस्तावना

सुदृढ आन्तरिक वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली, प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी सहित राज्य सरकार के कुशल और प्रभावी शासन में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं और निर्देशों की अनुपालना के साथ-साथ इस तरह के अनुपालन की स्थिति पर रिपोर्टिंग में गुणवत्ता और समयबद्धता सुशासन की एक विशेषता है। अनुपालन और नियंत्रण पर रिपोर्टिंग यदि प्रभावी और कार्यात्मक हो, सरकार को रणनीतिक योजना और निर्णय लेने सहित अपनी आधारभूत नेतृत्व की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करती है।

यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार एवं इसके अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में वित्तीय रिपोर्टिंग के सम्बन्ध में विभिन्न महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निर्देशों की अनुपालना का विहंगम दृश्य एवं स्थिति प्रस्तुत करता है।

4.1 उपकर/अधिभार का संग्रहण

एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा उपकर लगाया जाता है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्राप्त राशि विशिष्ट उद्देश्य पर व्यय हो, को विशेष लेखांकन के साथ एक पृथक निधि में रखा जाना आवश्यक है। विभिन्न उपकर/अधिभार के संग्रहण तथा सम्बन्धित निधियों में हस्तान्तरण का विवरण नीचे **तालिका 4.1** में दिया गया है:

तालिका 4.1: उपकर के संग्रहण एवं निधि में हस्तान्तरण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपकर का नाम	अहस्तांतरित राशि का प्रारम्भिक शेष	वर्ष 2021-22 के दौरान संग्रहित उपकर/अधिभार	कुल (3+4)	वर्ष 2021-22 के दौरान निधि में हस्तांतरित राशि	अहस्तांतरित राशि का अन्तिम शेष (5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	पेट्रोल एवं डीजल उपकर	4,562.43	1,260.25	5,822.68	2,290.70	3,531.98
2.	गाय एवं उसकी संतति के संरक्षण और प्रसार के लिए अधिभार	1,115.02	899.56	2,014.58	647.14	1,367.44
3.	जल संरक्षण उपकर	934.17	249.19	1,183.36	196.37	986.99
4.	भवन और अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर	367.30	500.87	868.17	367.55	500.62
5.	अवसंरचना विकास उपकर	691.43	418.57	1,110.00	729.88	380.12
	कुल	**7,670.35**	**3,328.44**	**10,998.79**	**4,231.64**	**6,767.15**

स्रोत: वित्त लेखे, राजस्थान सरकार

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2022 तक पांच आरक्षित निधियों/जमा निधियों में ₹ 6,767.15 करोड़ का कम हस्तान्तरण किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान, पांच उपकर के संबंध में ₹ 3,328.44 करोड़ के उपकर संग्रह के विरुद्ध, राज्य सरकार ने ₹ 4,231.64 करोड़ की राशि स्थानांतरित की (₹ 903.20 करोड़ के प्रारंभिक शेष के एक हिस्से सहित) जिसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा ₹ 903.20 करोड़ से अधिक बताया गया। इसके अतिरिक्त, चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार ने पाँच उपकरों में से तीन के सन्दर्भ में, अर्थात (i) गौ और उसकी संतति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अधिभार, (ii) जल संरक्षण उपकर और (iii) भवन निर्माण और अन्य निर्माण श्रमिकों के कल्याण उपकर) ₹ 1,649.62 करोड़ संग्रहित किए और केवल ₹ 1,211.06 करोड़ स्थान्तरित किये । इसके परिणामस्वरूप उपरोक्त तीन उपकर के मामले में ₹ 438.56 करोड़ का कम अंतरण हुआ जिसके कारण देयता को भविष्य के वर्षों के लिए आस्थगित किया गया।

4.2 राज्य सरकार की बजट से इतर उधार

राज्य की संचित निधि की प्रतिभूति पर, राज्य सरकारें भारत के क्षेत्र के भीतर धन उधार ले सकती हैं और इस तरह के उधार की सीमा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत विनियमित होती है। संवैधानिक प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उधार लेने के अलावा, राज्य सरकार विभिन्न राज्य योजनागत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए जिला परिषदों/कम्पनियों/निगमों द्वारा बाजार/वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों की प्रत्याभूति भी देती है, जो राज्य के बजट के बाहर परिलक्षित होते हैं। इस तरह के उधार को बाद में सरकार द्वारा चुकाया जाता है और अंततः राज्य सरकार की देनदारी बन जाती है। इस तरह के उधार को बजट से इतर उधार कहा जाता है क्योंकि ये उधार बजट में शामिल नहीं होते हैं और विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं।

राजस्थान में देखे गए कुछ उदाहरणों को नीचे विवेचित किया गया है:

(1) वित्त विभाग, राजस्थान सरकार (रास) ने सूचित किया (जून 2022) कि मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) परिवारों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण के लिए वर्ष 2011-12 से राज्य सरकार ने जिला परिषदों द्वारा आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) से प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में प्रत्याभूति दी थी। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 3,948.66 करोड़ की प्रत्याभूति सीमा में से, जिला परिषदों ने वर्ष 2021-22 तक ₹ 3,624.48[1] करोड़ की कुल गारन्टी का लाभ उठाया। यह पाया गया कि राज्य

1. 2011-12: ₹ 945.37 करोड़, 2012-13: ₹ 840.19 करोड़, 2013-14: ₹ 958.51 करोड़, 2014-15: ₹ 600.64 करोड़, 2015-16: ₹ 160.52 करोड़, 2016-17: ₹ 61.34 करोड़, 2017- 18: ₹ 6.34 करोड़, 2018-19: ₹ 1.16 करोड़, 2019-20: 'शून्य', 2020-21: ₹ 50.41 करोड़ और 2021-22: 'शून्य' (2021-22 के दौरान कोई गारंटी नहीं ली गई)।

सरकार इन ऋणों के मूलधन और ब्याज का पुनर्भुगतान कर रही है। लेखापरीक्षा संवीक्षा से ज्ञात होता है कि वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान सरकार द्वारा 31 जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में उनके द्वारा मुख्यमंत्री गरीबी रेखा से नीचे (सीएमबीपीएल) आवास योजना के लिये हुडको से लिये गये ऋणों के मूलधन और ऋण पर ब्याज के भुगतान के लिए ₹ 432.78 करोड़ (₹ 291.97 करोड़ मूलधन और ₹ 140.81 करोड़ ब्याज के रूप में) का हस्तान्तरण किया।

वर्ष 2021-22 के दौरान, प्रत्याभूतियों के विरुद्ध बजट से इतर उधार का प्रारंभिक शेष ₹ 1,804.41 करोड़ था तथा इसमें से ₹ 291.97 करोड़ का भुगतान कर दिया गया, जिससे 2021-22 के अंत में ₹ 1,512.44 करोड़ का बकाया शेष रह गया।

(2) लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम से प्राप्त ऋण की अदायगी के लिए गारन्टी दी है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदत्त ₹ 135 करोड़ की गारन्टी सीमा में से राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने वर्ष 2021-22 तक ₹ 99.60 करोड़ की कुल गारंटी का लाभ उठाया। वर्ष के दौरान ₹ 68.47 करोड़ शेष राशि छोड़ते हुए राशि ₹ 31.13 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान किया गया। निगम ने सूचित किया (13 सितम्बर 2022) कि राज्य सरकार से ऋण के पुनर्भुगतान के लिए सहायतार्थ अनुदान के रूप में राशि ₹ 30.00 करोड़ प्राप्त हुई हैं और शेष ऋण को अपने स्वयं के स्रोतों से चुका दिया गया है।

जीएसडीपी के साथ बकाया बजट से इतर उधार की प्रवृत्ति के की वर्षवार स्थिति नीचे तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 4.2: बजट के इतर उधार की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	राशि	जीएसडीपी	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	2019-20	2,901.54	9,99,050	0.29
2.	2020-21	1,804.41	10,13,323	0.18
3.	2021-22	1,580.91*	11,96,137	0.13

* (i) विभिन्न 'जिला परिषद' राज्य सरकार की ओर से जहां मूलधन और ब्याज राज्य के बजट के बाहर से चुकाया जाना है राशि ₹1,512.44 करोड़ एवं (ii) राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त और विकास सहकारी निगम लिमिटेड: ₹ 68.47 करोड़।

तालिका से देखा जा सकता है कि मार्च 2022 के अन्त में बकाया बजट से इतर उधार जीएसडीपी (₹ 11,96,137 करोड़) का 0.13 प्रतिशत है।

4.3 स्थानीय निधियों की जमा

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 64 में प्रावधान करता है कि जिला परिषद (जिप), पंचायत समिति (पसं) और ग्राम पंचायत (ग्रापं) क्रमशः जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं ग्राम पंचायत निधि (प्रमुख शीर्ष 8448-स्थानीय निधियों की जमा के तहत,109-पंचायत निकाय निधि) का रखरखाव करेगी। जिसमें अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धन और पीआरआई द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धन शामिल होंगे, जैसे केन्द्रीय वित्त आयोग और राज्य सरकार से राज्य वित्त आयोग के हिस्से के रूप में प्राप्त अनुदान और स्वयं का राजस्व, जिसमें पंचायत की कर और कर भिन्न प्राप्तियाँ शामिल हैं। इसी प्रकार, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 79 में प्रावधान है कि नगरपालिका निधि नगर पालिका के पास होनी चाहिये। इस अधिनियम के तहत प्राप्त या वसूली योग्य सभी धनराशियाँ और नगर पालिका द्वारा अन्यथा प्राप्त सभी धनराशि मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा, 102-नगरपालिका निधि के तहत नगरपालिका निधि में रखी जाती है।

31 मार्च 2022 को गत पांच वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं की स्थानीय निधियों तथा नगरपालिका निधि की स्थिति निम्न **तालिका 4.3** में दी गई है।

तालिका 4.3: स्थानीय निधियों की जमा

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	निधि का नाम	वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्तियाँ	व्यय	अन्तिम शेष
1	जिला परिषद निधि (8448-109-03)	2017-18	1,683.32	2,220.82	2,032.13	1,872.01
		2018-19	1,872.01	1,781.83	2,144.98	1,508.86
		2019-20	1,508.86	1,198.28	1,407.07	1,300.07
		2020-21	1,300.07	1,318.54	1,128.13	1,490.48
		2021-22	1,490.48	2,327.99	1,951.25	1,867.22
2	पंचायत समिति निधि (8448-109-02)	2017-18	1,280.05	1,599.99	1,430.26	1,449.78
		2018-19	1,449.78	1,776.44	1,762.27	1,463.95
		2019-20	1,463.95	3,205.03	3,496.43	1,172.55
		2020-21	1,172.55	1,797.45	1,545.79	1,424.21
		2021-22	1,424.21	2,640.36	2,210.78	1,853.79
3	नगरपालिका निधि (8448-102)	2017-18	1,418.12	2,351.12	2,117.23	1,652.01
		2018-19	1,652.01	2,527.25	2,775.08	1,404.17
		2019-20	1,404.17	2,874.08	2,835.52	1,442.73
		2020-21	1,442.73	4,591.66	3,614.48	2,419.91
		2021-22	2,419.91	4,662.10	4,492.33	2,589.68

स्रोतः वित्त लेखा और महालेखाकार (लेखा एवं हक) कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

यह देखा गया कि वर्ष 2017-22 के दौरान, जिला परिषद निधि, पंचायत समिति निधि एवं नगरपालिका निधि में बड़ी मात्रा में शेष राशि उपयोग के लिए पड़ी हुई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान इन निधियों में अंतिम शेष क्रमशः ₹ 1,867.22 करोड़, ₹ 1,853.79 करोड एवं ₹ 2,589.68 करोड़ था।

4.4 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुतीकरण में देरी

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि), 2012 का नियम 68(i) निर्दिष्ट करता है कि सभी वित्तीय स्वीकृतियां यदि प्रशासनिक विभाग द्वारा अपनी वित्तीय शक्ति के भीतर जारी की जाती है उन शक्तियों को निर्दिष्ट करते हुए सीधे महालेखाकार को भेजी जाएंगी जिनके तहत उन्हें जारी किया गया है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली (सावि एवं लेनि), 2012 के नियम 284 एवं 286 निर्दिष्ट करते हैं कि विभागीय अधिकारियों द्वारा विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रदान किए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र (यूसी) अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए और सत्यापन के बाद उनकी स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो महालेखाकार (लेखा व हक़) को अग्रेषित किए जाने चाहिये। राजस्थान में, राज्य सरकार द्वारा सहायतार्थ अनुदान (स अ) को तीन कार्यकारी शीर्षों में विभाजित किया गया है (i) 12-सहायतार्थ अनुदान (गैर-वेतन); (ii) 92- सहायतार्थ अनुदान (वेतन) और (ii) 93-पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान।

वर्ष 2020-21 के दौरान, राजस्थान सरकार ने ₹ 39,744.68 करोड़ का सहायतार्थ अनुदान जारी किया, जिसमें से ₹ 34,071.30 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 12 (सहायतार्थ अनुदान गैर-वेतन) तथा ₹ 989.72 करोड़ कार्यकारी शीर्ष 93 (पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायतार्थ अनुदान) हेतु जारी किया गया।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2022 को विभिन्न विभागों ने अवधि वर्ष 2010-11 से 2020-21 के कुल ₹ 1,833.21 करोड़ के 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा व हक़) कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किये। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से राशि ₹ 504.84 करोड़ के 336 उपयोगिता प्रमाण-पत्र, पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए सहायता अनुदान से संबंधित थे। कुल बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का आयु-वार बकाया नीचे दी गई तालिका में सारान्शीकृत किया गया है:

तालिका 4.4: उपयोगिता प्रमाण पत्रों की आयुवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष		वर्ष के दौरान बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र की वृद्धि		वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्रस्तुत करने हेतु बकाया	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	2019-20	195	5.98	808	970.43	233	35.80	770	940.61
2.	2020-21	770	940.61	1,364	2,392.01	1297	1,219.17	837	2,113.45
3.	2021-22	837	2,113.45	962	3,634.38	1029	3,914.62	770	1,833.21

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

तालिका 4.5: बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का वर्षवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
1.	2011-12	5	0.03
2.	2012-13	5	0.04
3.	2013-14	6	0.03
4.	2017-18	7	0.04
5.	2018-19	87	2.00
6.	2019-20	19	6.28
7.	2020-21	69	269.75
8.	2021-22	572	1,555.04
	योग	**770**	**1,833.21**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

* यहाँ वर्ष 'देय वर्ष' से संबंधित है अर्थात वास्तविक आहरण के 12 महीनों के बाद

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार मार्च 2022 तक लम्बित 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों में से 528 उपयोगिता प्रमाण-पत्र सितम्बर 2022 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त हो चुके हैं। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का लगभग 98.60 प्रतिशत शिक्षा विभाग (47 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 375.41 करोड़), पशुपालन विभाग, (8-उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 102.39 करोड़), शहरी स्थानीय निकाय (14 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 69.71 करोड़) और चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य विभाग (19 उपयोगिता प्रमाण-पत्रः ₹ 62.22 करोड़) से सम्बन्धित हैं। 30 सितंबर 2022 तक बकाया 242 उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का विभागवार विवरण नीचे **तालिका 4.6** में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.6: बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग/प्रमुख का नाम	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की संख्या	राशि
1.	शिक्षा	47	375.41
2.	पशुपालन	8	102.39
3.	पंचायती राज	15	3.62
4.	रेल एवं युवा मामले	3	0.26
5.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	19	62.22
6.	शहरी स्थानीय निकाय	14	69.71
7.	कला एवं संस्कृति	16	0.96
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	119	3.30
9.	देवस्थान	1	0.50
	योग	**242**	**618.37**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक) द्वारा संकलित सूचना।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचित किया (जून 2022) कि अधीनस्थ कार्यालयों से बकाया राशि के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के प्रयास किये जा रहे हैं और 145 संस्थानों को जिनके उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे, नये अनुदान जारी नहीं किये गये थे। अन्य विभागों से संबंधित बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का उत्तर प्रतीक्षित है (अक्टूबर 2022)।

लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न विभागों से संग्रहित सूचना के अनुसार, वर्ष 2015-16 से 2021-22 की अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत जारी सहायतार्थ अनुदान के लिये कुछ विभागों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र बकाया थे। बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की विभागवार स्थिति नीचे **तालिका 4.7** में सारान्शीकृत है।

तालिका 4.7: विभागों से बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्रों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विभाग का नाम	अवधि	योजना	जारी सहायतार्थ अनुदान राशि	व्यय के विरुद्ध प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र	बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र
1.	स्वायत्त शासन विभाग	2015-16 से 2020-21	पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत मूल अनुदान	4,332.83	3,013.47	1,319.36
			पांचवे राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान	142.46	52.67	89.79
			चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत मूल अनुदान	3,610.51	2,691.29	919.22
			चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत निष्पादन अनुदान	378.65	222.08	156.57
			पीएम आवास योजना (शहरी)	229.19	189.58	39.61
		योग (अ)		**8,693.64**	**6,169.09**	**2,524.55**
		2014-15 से 2021-22	दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन	137.65	-	137.65
		योग (ब)		**137.65**	**-**	**137.65**
		योग (अ+ब)		**8,831.29**	**6,169.09**	**2,662.20**
2.	पंचायती राज	2015-16 से 2018-19	राज्य वित्त आयोग- पंचम	9,106.00	8,180.96	925.04
			चौदहवां वित्त आयोग	7,921.98	7,464.18	457.80
		योग				**1,382.84**
		कुल योग				**4,045.04**

स्रोतः सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना।

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, **तालिका 4.6** में दर्शाए गए ₹ 618.37 करोड़ के बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अतिरिक्त, ₹ 4,045.04 करोड़ के उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी बकाया थे।

हालाँकि, यह जानकारी महालेखाकार (लेखा एवं हक) के कार्यालय में उपलब्ध नहीं थी क्योंकि विभागों ने जीएफएएण्डएआर के नियम 68 (i), 284 और 286 के प्रावधानों के उल्लंघन में महालेखाकार

(लेखा एवं हक) को स्वीकृतियों और उपयोगिता प्रमाणपत्रों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की थी। इनका बकाया होना अपर्याप्त वित्तीय रिपोर्टिंग को भी दर्शाता है क्योंकि कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए प्रदान की गई अनुदान की बड़ी राशि विभागों के पास रखी गई है और इसे ठीक से प्रतिवेदित एवं लेखांकित नहीं किया गया है।

निर्दिष्ट अवधि से अधिक उपयोगिता प्रमाण-पत्रों का बकाया रहना न केवल वित्तीय जवाबदेही तन्त्र को कमजोर करते हैं बल्कि वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को भी इंगित करते हैं । वित्त विभाग ने सूचित किया (अक्टूबर 2022) कि सभी संबंधित विभागों को उपयोगिता प्रमाण-पत्र शीघ्र प्रेषित करने के निर्देश जारी कर दिये गये हैं।

4.4.1 अनुदानग्राही संस्थान को 'अन्य' के रूप में दर्ज करना

लेखापरीक्षा और लेखा विनियम (संशोधन) 2020 के विनियम 88 में प्रावधान है कि सरकारें और विभागों के प्रमुख जो निकायों या प्राधिकरणों को अनुदान और/या ऋण स्वीकृत करते हैं, हर साल जुलाई के अंत तक लेखापरीक्षा कार्यालय को ऐसे निकायों एवं प्राधिकरण जिन्हें पिछले वर्ष के दौरान कुल ₹ 10 लाख या उससे अधिक के अनुदान और/या ऋण का भुगतान किया गया था, जो (क) सहायता की राशि, (ख) उद्देश्य जिसके लिए सहायता स्वीकृत की गई थी, और (ग) निकाय या प्राधिकरण के कुल व्यय को इंगित कर विवरण प्रस्तुत करेंगे।

राज्य सरकार विभिन्न निकायों और प्राधिकरणों को सहायतार्थ अनुदान स्वीकृत करती है। यह आवश्यक है कि लेखों की पारदर्शिता के लिए सरकार अनुदानग्राही संस्था का विवरण और स्वरुप उपलब्ध करावें जिसे वह निधि प्रदान कर रही है।

राजस्थान सरकार के वित्त लेखे 2021-22 के अनुसार, सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल व्यय का 20.94 प्रतिशत था और वर्ष के दौरान कुल सहायतार्थ अनुदान ₹ 49,126.65 करोड़ में से ₹ 14,537.75 करोड़ (29.59 प्रतिशत) की राशि का संवितरण 'अन्य' प्रकार के अनुदानग्राही संस्थानों को किया गया, जहां 'अन्य' का अर्थ विभिन्न सरकारी विभागों से है, जैसाकि नीचे तालिका 4.8 में दिया गया है।

तालिका 4.8: संस्थानों को वितीय सहायता

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	संस्थानों को वित्तीय सहायता	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
1.	कुल अनुदान	34,985.10	34,862.21	41,024.82	39,744.68	49,126.65
2.	अन्य	9,761.88	10,025.04	10,222.30	12,431.88	14,537.75
3.	कुल अनुदान से 'अन्य' का प्रतिशत	27.90	28.76	24.92	31.28	29.59
4.	राज्य का कुल व्यय	1,67,799	1,87,524	1,93,458	1,94,071	2,34,563
5.	राज्य के कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत	20.85	18.59	21.21	20.48	20.94

स्रोतः वित्त लेखे

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान कुल व्यय से कुल अनुदान का प्रतिशत 18.59 प्रतिशत से 21.21 प्रतिशत के बीच था। इसके अलावा, वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान 'अन्य' को दिया गया अनुदान कुल सहायतार्थ अनुदान के 24.92 प्रतिशत से 31.28 प्रतिशत के बीच था। इस प्रकार, 'अन्य' प्रकार के संस्थानों के लिए सहायतार्थ अनुदान राज्य के कुल अनुदान और कुल व्यय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है । अनुदानग्राहियों के विवरण का अभाव लेखों की पारदर्शिता और इन सहायतार्थ अनुदानों के विरुद्ध उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के अनुश्रवण पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

4.5 सारांशीकृत आकस्मिक बिल

सारान्शीकृत आकस्मिक बिलों के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में अनियमितताएं

जीएफएण्डएआर के नियम 219 के अन्तर्गत, नियंत्रक और संवितरण अधिकारी सारांशीकृत आकस्मिक (एसी) बिल तैयार करके सेवा शीर्षों को नामे करके धनराशि आहरित के लिए अधिकृत हैं, और उन्हें विस्तृत आकस्मिक (डीसी) बिल (अंतिम व्यय के समर्थन में वाउचर) महालेखाकार (लेखा एवं हक) को कोषागार के माध्यम से प्रस्तुत करने होते हैं। नियम 220(1) एसी बिलों के माध्यम से धनराशि के आहरण से तीन महीने[2] की अवधि के भीतर डीसी बिल प्रस्तुत करने का प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि नीचे **तालिका 4.9** में दिये गये अनुसार, राज्य सरकार ने राशि ₹33.19 करोड़ के 89 एसी बिलों के संबंध में 30 जून 2022 तक डीसी बिल प्रस्तुत नहीं किये थे:

तालिका 4.9: एसी बिलों के विरुद्ध डीसी बिल प्रस्तुत करने की वर्षवार प्रगति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारम्भिक शेष		वृद्धि		निस्तारण		अन्तिम शेष	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
2020-21 तक	202	55.49	407	34.63	492	58.75	117	31.37
2021-22	117	31.37	505	58.50	533	56.68	89	33.19

स्रोतः वित्त लेखे ।

जून 2022 तक बकाया 89 डीसी बिलों में से 58 डीसी बिल सितम्बर 2022 तक विभिन्न विभागों से प्राप्त हो चुके हैं । 31 बकाया डीसी बिलों का आयुवार विवरण निम्न **तालिका 4.10** में दिया गया है।

2. विदेशों से मशीनरी/उपकरण और अन्य वस्तुओं की खरीद के मामले को छोड़कर सारस पत्र जारीकर, जहां एसी बिलों के माध्यम से धन के आहरण के छह महीने के भीतर डीसी बिल सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

तालिका 4.10: बकाया डीसी बिलों की आयुवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आयु	बकाया डीसी बिलों की संख्या	राशि
1.	20 से 32 वर्ष के मध्य	4	0.01
2.	11 से 15 वर्ष के मध्य	1	2.92
3.	5 से 10 वर्ष के मध्य	2	1.06
4.	1 से 5 वर्ष के मध्य	3	8.34
5.	0 से 1 वर्ष के मध्य	21	16.71
	योग	31	29.04

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है, राशि ₹ 2.93 करोड़ के 5 बिल 11 से 32 वर्ष तक एवं ₹ 9.40 करोड़ की राशि के 5 बिल एक से 10 वर्ष तक बकाया थे।

सितम्बर 2022 तक की अवधि के बकाया एसी बिलों के साथ-साथ बकाया राशि का प्रमुख शीर्षवार विवरण निम्नलिखित **चार्ट 4.1** में प्रस्तुत किया गया है और ***परिशिष्ट 4.1*** में वर्णित है।

चार्ट 4.1: बकाया डीसी बिलों की विभाग/शीर्षवार स्थिति

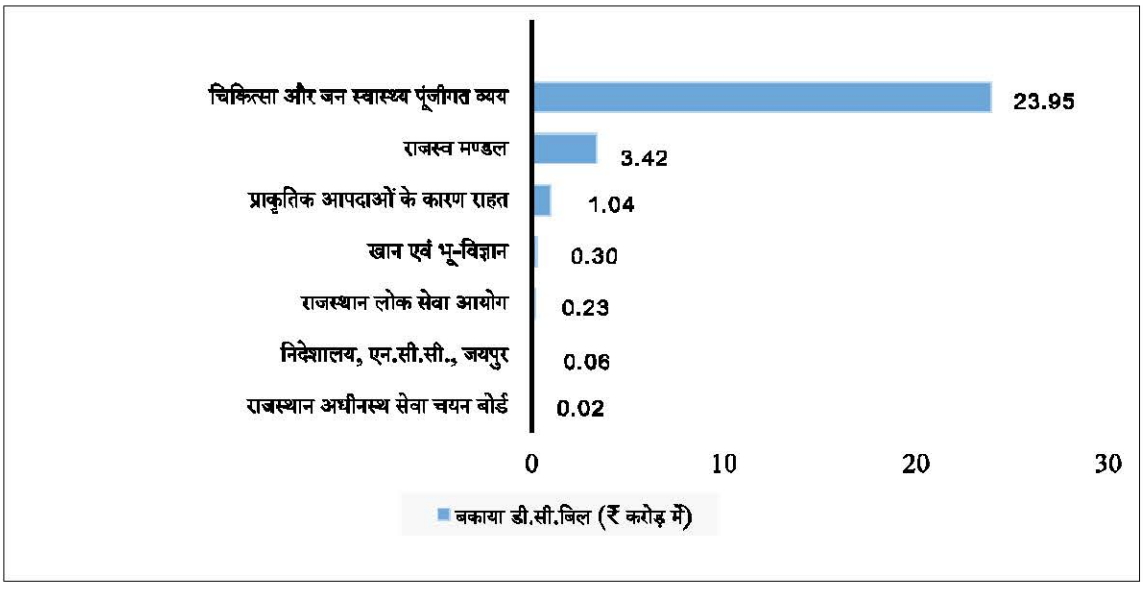

(i) डीसी बिल प्रस्तुत नहीं करना

लेखापरीक्षा ने देखा कि मार्च 2021 तक आहरित किए गए 10 एसी बिल 1 से 32 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद असमायोजित रहे।

(ii) विस्तृत आकस्मिक बिलों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

जीएफएण्डएआर, 2012 का नियम 8(2) निर्दिष्ट करता है कि धन तभी निकाला जाएगा जब तत्काल भुगतान की आवश्यकता हो और व्यय या भुगतान सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

लेखापरीक्षा ने जीएफएण्डएआर के नियम 220(1) का उल्लंघन कर वर्ष 2021-22 (जून 2022 तक) के दौरान 311 मामलों में डीसी बिल प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण देरी देखी। महत्वपूर्ण विलम्ब वाले कुछ मामले **तालिका 4.11** में दिए गए हैं।

तालिका 4.11: डीसी बिल जमा करने में देरी की मात्रा

क्र. सं.	कार्यालय का नाम	देरी से प्रस्तुत किये गये डीसी बिलों की संख्या	देरी की अवधि (माह में)
1.	प्रधानाचार्य एवं अतिरिक्त प्रधानाचार्य, एस.पी. चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर	1	33
2.	एन.सी.सी.निदेशालय, जयपुर	2	20 से 28
3.	राजस्व मण्डल, अजमेर	1	12
4.	आयुक्त, उद्योग विभाग, जयपुर	3	6 से 11
5.	राज्य निर्वाचन आयोग, जयपुर	4	6 से 9
6.	सार्वजनिक निर्माण विभाग (भूमि एवं सड़क)	1	6
7.	महानिदेशक, पुलिस, जयपुर	8	33 से 76
	योग	20	

जैसा कि उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, डीसी बिलों को प्रस्तुत करने में 6 महीने से लेकर 76 महीने तक की देरी हुई थी, जो दर्शाती है कि तत्काल भुगतान की आवश्यकता के बिना धनराशि आहरित की गई थी।

इसके अलावा, अधिकतर मामलों में यह देखा गया कि डीसी बिल प्रस्तुत करते समय 40.29 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक की महत्वपूर्ण/सम्पूर्ण राशि को चालान द्वारा वापस जमा कर दिया गया था। विवरण निम्नलिखित **तालिका 4.12** में दिया गया है।

तालिका 4.12: अधिकतर राशि वापस जमा के साथ ए.सी. बिलों का विवरण

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	शीर्ष	एसी बिल संख्या	एसी बिल दिनांक	एसी बिल राशि	डीसी बिल राशि	चालान द्वारा जमा की गई राशि	एसी बिल राशि से चालान राशि का प्रतिशत
1.	2015-106-01-57	14	13-04-2021	1,16,000	-	1,16,000	100.00
2.	2051-102-01-06	529	20-10-2021	3,00,000	11,409	2,88,591	96.20
3.	2055-115-03	285	13-03-2019	2,61,40,000	17,09,757	2,44,30,243	93.46
4.	2055-115-03-16	286	13-03-2019	1,61,97,000	13,13,650	1,48,83,350	91.89
5.	2051-102-01-06	719	11-02-2021	1,00,000	16,346	83,654	83.65
6.	2204-102-01-03-29	65	15-11-2021	1,49,611	50,067	99,544	66.54
7.	2014-105-21-01-29	189	04-02-2021	1,25,000	43,035	81,965	65.57
8.	2204-102-01-03-29	53	28-09-2021	56,322	21,107	35,215	62.52
9.	2014-105-21-01-29	194	08-02-2021	75,000	28,350	46,650	62.20
10.	2204-102-01-02-29	97	02-03-2021	17,475	7,002	10,473	59.93
11.	2012-03-108-01-28	1147	17-12-2021	1,00,000	41,244	58,756	58.76
12.	2012-03-107-01-01-28	256	17-08-2021	75,000	32,100	42,900	57.20
13.	2851-102-08-29	149	17-03-2021	1,49,268	72,808	76,460	51.22

क्र. सं.	शीर्ष	ए.सी. बिल संख्या	ए.सी.बिल दिनांक	ए.सी.बिल राशि	डी.सी. बिल राशि	चालान द्वारा जमा की गई राशि	ए.सी.बिल राशि से चालान राशि का प्रतिशत
14.	2204-102-01-02-29	143	03-03-2021	24,433	12,628	11,805	48.32
15.	2204-102-01-02-29	56	08-10-2021	2,32,957	1,21,361	1,11,596	47.90
16.	2204-102-01-03-29	103	28-01-2022	74,929	39,184	35,745	47.71
17.	2204-102-01-03-29	83	17-11-2021	1,21,525	64,182	57,343	47.19
18.	2013-105-01-26	31429	19-03-2021	25,000	13,500	11,500	46.00
19.	2055-116-01-16	421	26-03-2016	66,50,000	36,11,765	30,38,235	45.69
20.	2204-102-01-02-29	59	31-08-2021	78,342	43,539	34,803	44.42
21.	2051-103-01-06	313	20-10-2021	4,71,305	2,62,310	2,08,995	44.34
22.	2051-103-01-06	243	18-10-2021	4,71,305	2,62,311	2,08,994	44.34
23.	2051-103-01-06	267	18-10-2021	4,71,305	2,62,311	2,08,994	44.34
24.	2051-103-01-06	290	18-10-2021	4,71,305	2,62,311	2,08,994	44.34
25.	2051-102-01-06	905	09-03-2022	3,00,000	1,71,075	1,28,925	42.98
26.	2051-102-01-06	591	09-11-2021	3,00,000	1,72,240	1,27,760	42.59
27.	2051-103-01-06	534	23-12-2021	4,47,190	2,57,136	1,90,054	42.50
28.	2204-102-01-03-29	49	14-09-2021	37,435	21,608	15,827	42.28
29.	2051-103-01-06	560	23-12-2021	4,47,190	2,60,162	1,87,028	41.82
30.	2052-090-01-01-05	33055	24-01-2022	30,000	17,500	12,500	41.67
31.	2245-02-282-07-01-22	5010	10-05-2021	1,00,000	59,493	40,507	40.51
32.	2515-800-01-02-57	29	11-12-2021	1,13,746	67,917	45,829	40.29

अधिकतर/सम्पूर्ण राशि का चालान के माध्यम से जमा किया जाना इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बिना एसी बिलों के माध्यम से धन आहरित किया गया था।

4.6 निजी निक्षेप खाते

व्यक्तिगत जमा (पीडी) खाता संबंधित कोषागार में लोक लेखा के जमा शीर्ष के अंतर्गत खोला जाता है। इस तरह के खातों को कोषागार में बैंक खाते की तरह संधारित किया जाता है।

सावि एवं लेनि, राजस्थान सरकार का नियम 260(1) प्रावधान करता है कि सरकारी खातों में जमा के लिए कोई धन तब तक प्राप्त नहीं किया जाएगा जब तक कि वे किसी वैधानिक प्रावधान या सरकार के किसी सामान्य या विशेष आदेश के आधार पर न हो और सरकार की अभिरक्षा में रखा जाना आवश्यक या अधिकृत न हो ।

राजस्थान में पीडी खातों की स्थिति

वर्ष 2017-22 की अवधि के दौरान वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन पीडी खातों में निधियों की स्थिति **तालिका 4.13** में दी गई है।

तालिका 4.13: वर्ष 2017-22 के दौरान व्यक्तिगत जमा खातों में जमा निधियां

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	वर्ष के अन्त में पीडी खातों की संख्या			अन्तिम शेष
		सक्रिय	निष्क्रिय	योग	
1.	2017-18	1,646	20	1,666	9,538.57
2.	2018-19	1,863	36	1,899	13,325.59
3.	2019-20	1,845	55	1,900	16,289.07
4.	2020-21	1,895	33	1,928	14,382.95
5.	2021-22	2,001	52	2,053	18,220.62

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

तालिका से देखा जा सकता है कि पीडी खातों के अन्तर्गत अंतिम शेष वर्ष 2017-18 में 1,666 पीडी खातों में ₹ 9,538.57 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 2,053 पीडी खातों में ₹ 18,220.62 करोड़ हो गया है।

31 मार्च 2022 को राज्य सरकार के पीडी खातों की स्थिति नीचे **तालिका 4.14** में दी गई है:

तालिका 4.14: 31 मार्च 2022 को व्यक्तिगत जमा खातों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

पीडी खातों की संख्या (01 अप्रैल 2021 को)		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द/वापसी		पीडी खातों की संख्या (31 मार्च 2022 को)	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1,928	14,382.95	152	59,749.52	27	55,911.85	2,053	18,220.62

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना

26 पीडी खातों (प्रत्येक में ₹100 करोड़ और उससे अधिक की शेष राशि) जिसमें ₹ 12,931.92 करोड़ की राशि अर्थात कुल अव्ययित शेष (₹ 18,220.62 करोड़) का 70.9 प्रतिशत पड़ा हुआ है सहित 2,053 पीडी खातों में ₹ 18,220.62 करोड़ के अव्ययित शेष हैं, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.2*** में दिया गया है । इसके अलावा, राज्य सरकार के विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (डीडीओ) द्वारा धारित पीडी खातों से पता चला कि वर्ष के दौरान 50 खातों में "शून्य" शेष थे, इन पीडी खातों और डीडीओ का विवरण ***परिशिष्ट 4.3*** में दिया गया है। पीडी खातों एवं उनकी शेष राशि का आयु-वार विवरण नीचे **तालिका 4.15** में दिया गया है:

तालिका 4.15: 31 मार्च 2022 को पीडी खातों का आयु-वार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	आयु वर्ग	पीडी खातों की संख्या	31 मार्च 2022 को राशि
1.	0-1 वर्ष	150	794.82
2.	1-3 वर्ष	108	502.93
3.	3-5 वर्ष	395	3,078.75
4.	5-10 वर्ष	215	2,015.81
5.	10 वर्ष से अधिक	989	9,978.85
6.	विवरण उपलब्ध नहीं	196	1,849.46
	योग	**2,053**	**18,220.62**

स्रोतः कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा प्रदान की गई सूचना।

निष्क्रिय पीडी खाते

राजस्थान कोषागार नियमावली 2012 के नियम 98 में प्रावधान है कि प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में कोषागार अधिकारी संचालित पीडी खातों की समीक्षा करेगा तथा पिछले पांच वित्तीय वर्षों से लगातार निष्क्रिय पड़े खातों की सूची वित्त विभाग (मार्गोपाय) को भेजने के लिए तैयार करेगा। सावि एवं लेनि के नियम 264(2) में प्रावधान है कि कोषागार अधिकारी द्वारा पीडी खाते जिन्हें पिछले पांच वित्तीय वर्षों से लगातार संचालित नहीं किया गया है और वित्त विभाग की मंजूरी के साथ बंद कर दिया गया है, से भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जन लेखा समिति ने अपने 42वें प्रतिवेदन (15वीं विधानसभा) में निष्क्रिय पीडी खातों में शेष राशि के संबंध में राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के प्रावधानों का पालन करने की सिफारिश की।

विभिन्न विभागों के पीडी खातों की समीक्षा से पता चला कि 31 मार्च 2022 तक कुल 52 पीडी खाते जिनमें ₹16.30 करोड़ की राशि पड़ी थी पिछले पांच वर्षों (2017-22) से निष्क्रिय थे, जिनमें से 7 निष्क्रिय पीडी खातों में पिछले पांच वर्षों से शून्य शेष था। इन पीडी खातों की वर्तमान स्थिति सम्बन्धित विभागों द्वारा मांगे जाने के बावजूद सूचित नहीं की (अक्टूबर 2022) गई। इन पीडी खातों का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में उल्लिखित है।

पांच वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद पीडी खातों को बंद न करना सावि एवं लेनि के नियम 264(2) और राजस्थान कोषागार नियम, 2012 के नियम 98 के प्रावधानों का उल्लंघन था और यह कोषागार के स्तर पर अनुश्रवण की कमी और इस संबंध में जलेस की सिफारिशों का पालन न करने को दर्शाता है। राज्य सरकार को इन निष्क्रिय खातों के लिए जिम्मेदारी तय करने और ऐसे निष्क्रिय खातों को बंद करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए एकल नोडल खाता

सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम 232(v) में राज्य सरकारों को धनराशि जारी करने और सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस)[3] के माध्यम से धन के उपयोग के अनुश्रवण का प्रावधान है। इसलिए, भारत सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया (मार्च 2021) कि 1 जुलाई, 2021 से केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं (केप्रयो) के तहत धन जारी करने और उचित उपयोग के सम्बन्ध में सभी राज्यों द्वारा निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगाः

3. पीएफएमएस को पहले केन्द्रीय योजनागत योजना अनुश्रवण तंत्र (सीपीएसएमएस) के रूप में जाना जाता था, यह एक वेब-आधारित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन है, जिसे वित्त मंत्रालय के महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के कार्यालय द्वारा विकसित और कार्यान्वित किया जाता है, जिसका उद्देश्य भारत सरकार की सभी योजनागत योजनाओं और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर व्यय की वास्तविक समय रिपोर्टिंग ट्रैक करना है।

- प्रत्येक राज्य सरकार एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में राज्य स्तर पर प्रत्येक केंप्रयो के लिए एकल नोडल खाता (एसएनए) खोलने के लिए एक एकल नोडल एजेंसी नामित करेगी।
- राज्यों को धन राशि विशेष रूप से पीएफएमएस या पीएफएमएस के साथ पूर्णतः एकीकृत योजना विशिष्ठ पोर्टल के अनुसार राज्य के कोषागार और एसएनए के बैंक खाते में उपलब्ध केंप्रयो की शेष धन राशि के आधार पर जारी की जायेगी।
- राज्य सरकार केन्द्र के हिस्से को सम्बन्धित एकल नोडल एजेन्सी के खाते में इसकी प्राप्ति के 21 दिनों की अवधि के भीतर हस्तांतरित कर देगी और राज्य का समनुरूप हिस्सा 40 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए, और
- केन्द्रीय के हिस्से को निजी निक्षेप (पीडी) खाता या सावधि जमा खाता/फ्लेक्सी खाता /बहु विकल्प जमा खाता/कॉर्पोरेट लिक्विड टर्म डिपॉजिट (सीएलटीडी) खाता आदि में विपथन नहीं जाएगा।

राज्य में एसएनए आधारित केंप्रयो कार्यान्वयन से पहले, कई केंप्रयो योजनाएं निर्दिष्ट पीडी खातों के माध्यम से चल रही थीं जिनमें राज्य सरकार ने राज्य के हिस्से के साथ केन्द्रीय हिस्सा जारी किया था। पीडी खातों से धनराशि कार्यान्वयन एजेन्सियों को हस्तांतरित की गई थी। हालाँकि, यह देखा गया कि पीडी खातों में धन उचित उपयोग के बिना रखा जा रहा था और कार्यान्वयन एजेन्सियों को धन हस्तांतरित करने में देरी हुई थी, जिसने योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। उपलब्ध निधि के बेहतर अनुश्रवण और निधियों के समय पर उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार द्वारा केंप्रयो का एसएनए आधारित वित्तीय प्रबंधन शुरू किया गया था, जिससे प्रत्येक केंप्रयो के लिए सार्वजनिक व्यय प्रबंधन में अधिक दक्षता लाई जाये। वित्त विभाग, राजस्थान सरकार ने सूचित किया (29 अगस्त 2022) कि राज्य में सभी केंप्रयो योजनाओं के एसएनए बैंक खाते खोले गए हैं और इन योजनाओं को पीएफएमएस पोर्टल पर भी जोड़ा गया है।

4.7 लघु शीर्ष-800 का उपयोग

अन्य प्राप्तियों या अन्य व्यय से सम्बन्धित लघु शीर्ष - 800 को केवल तभी संचालित किया जाना है जब मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध नहीं है। लघु शीर्ष-800 के नियमित संचालन को हतोत्साहित किया जाना है, क्योंकि यह खातों को अपारदर्शी बनाता है।

राज्य सरकार ने पांच वर्ष की अवधि 2017-2022 के दौरान इस लघु शीर्ष का व्यापक रूप से संचालन किया है। उदाहरण जहां व्यय और प्राप्तियों का पर्याप्त हिस्सा (50 प्रतिशत या अधिक) लघु शीर्ष 800 के तहत वर्गीकृत किया गया था, ***परिशिष्ट 4.5*** में दर्शाया गया है।

वर्ष 2017-22 के दौरान सम्बन्धित शीर्षों के कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय एवं 800-अन्य प्राप्तियों के संचालन की सीमा क्रमशः **चार्ट 4.2** एवं **चार्ट 4.3** में दी गई है।

चार्ट 4.2: वर्ष 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय का संचालन

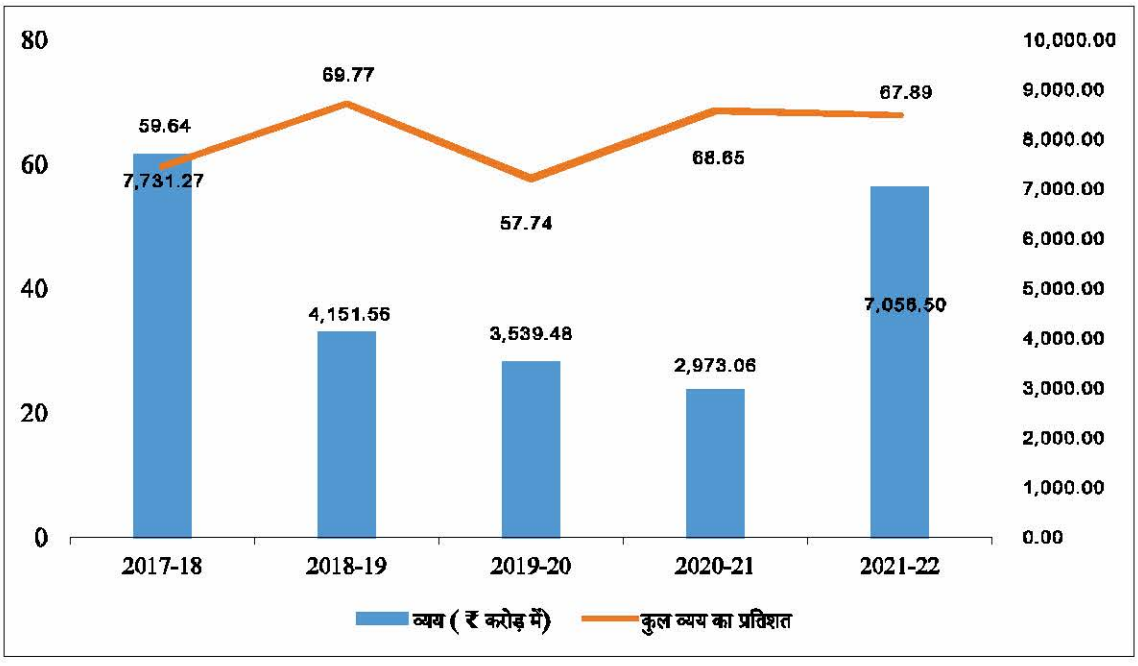

चार्ट 4.3: वर्ष 2017-22 के दौरान लघु शीर्ष 800-अन्य प्राप्तियों का संचालन

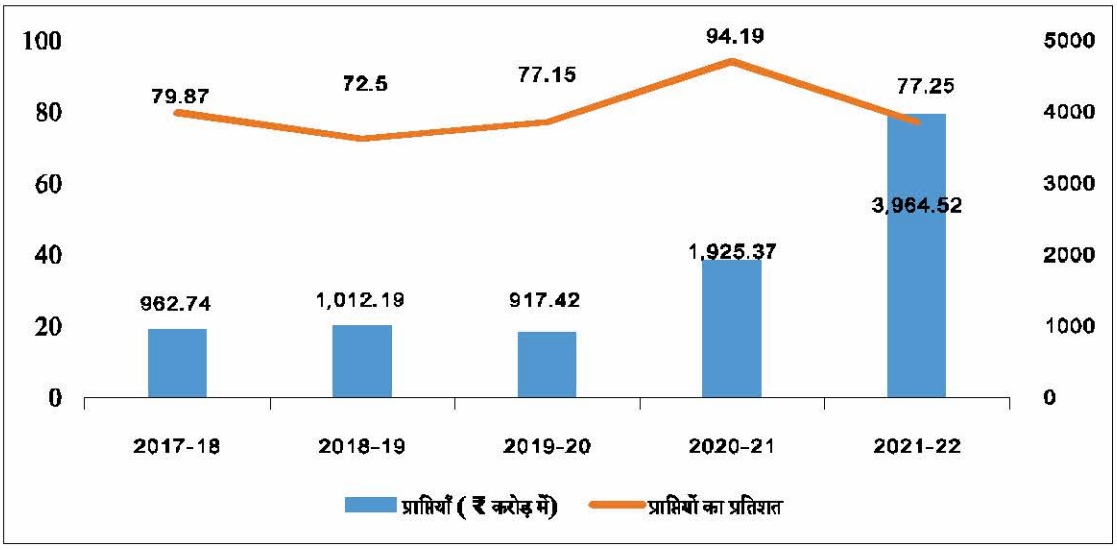

अन्य प्राप्तियों/अन्य व्यय से संबंधित बहुगर्भित लघु शीर्ष 800 केवल उन मामलों में संचालित किया जाना है जहां लेखों में एक मुख्य शीर्ष के तहत उपयुक्त लघु शीर्ष नहीं है। लघु शीर्ष 800 के तहत बुकिंग, जब मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध हो, खातों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है और उपयुक्त लघु शीर्ष में प्रावधान में अनियमितता का विवरण ***परिशिष्ट 4.6*** में दिया गया है। लेखापरीक्षा द्वारा देखे गये कुछ मामले नीचे वर्णित हैं:

i) रखरखाव और मरम्मत/सड़क कार्यों से संबंधित तीन मामलों में, राज्य सरकार ने 800-अन्य व्यय के तहत ₹ 344.66 करोड़ का प्रावधान दर्ज किया जबकि मुख्य और लघु शीर्षों की सूची में उचित शीर्ष जैसेः 105-रखरखाव और 337-सड़क कार्य मुख्य शीर्ष 3054 के तहत उपलब्ध थे।

ii) पांच मामलों में, राज्य सरकार ने अन्य शीर्ष-800 (अन्य व्यय) के तहत सड़क निर्माण कार्यों/जिला सड़कों/शहरी सड़कों और ग्रामीण सड़कों आदि के लिए ₹ 2192.30 करोड़ बुक किए जबकि उपयुक्त शीर्ष जैसेः 337- सड़क कार्य मुख्य शीर्ष 5054 के तहत उपलब्ध थे।

iii) एक मामले में, चार स्मार्ट शहरों से संबंधित निर्माण और मरम्मत एवं रखरखाव कार्य को 800-अन्य व्यय शीर्ष के तहत बुक किया गया था, जबकि मुख्य शीर्ष 2217 के अन्तर्गत उपयुक्त शीर्ष जैसेः 051-निर्माण और 053-मरम्मत एवं रखरखाव उपलब्ध थे।

4.8 प्रमुख उचंत और डीडीआर शीर्षों के तहत बकाया शेष

'उचंत' और 'प्रेषण' शीर्षों से सम्बन्धित लेनदेन केवल सभी समायोजन शीर्षों को रिकॉर्ड करने से अभिप्रेत है। प्राप्ति एवं भुगतान के लेनदेन को दर्शाने के लिए सरकारी लेखों में 'उचंत शीर्ष' के रूप में जाने वाले कुछ मध्यस्थ/समायोजन शीर्षों को खोला जाता है, जिन्हें कोषागारों /भुगतान और लेखा अधिकारी द्वारा निपटान की अनुसूची प्रस्तुत न करने, भारतीय रिजर्व बैंक से निकासी मेमो की अप्राप्ति, वाउचर की अप्राप्ति आदि जैसी जानकारी की कमी के कारण लेखे के अन्तिम शीर्ष में दर्ज नहीं किया जा सकता है। इन लेखों के शीर्षों को अन्तिम रूप से में माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट द्वारा समाशोधित किया जाता है जब उनके अन्तर्गत लेखों को उनके सम्बन्धित अन्तिम लेखा शीर्षों में बुक किया जाता है। यदि इन राशियों को समाशोधित नहीं किया जाता है, तो उचंत शीर्षों के अन्तर्गत शेष जमा हो जाते है और सरकार की प्राप्तियों और व्यय की सही तस्वीर प्रदर्शित नहीं करते हैं।

प्रेषण सभी लेन-देन को शामिल करते हैं जो लेखों के प्रमुखों को समायोजित कर रहे हैं और इन शीर्षों के तहत डेबिट या क्रेडिट अन्ततः उसी या लेखांकन के किसी अन्य सर्कल में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समाशोधित किये जाते हैं।

प्रेषण सभी लेन-देन को शामिल करते हैं जो लेखों के समायोजन शीर्ष हैं और इन शीर्षों के तहत डेबिट या क्रेडिट अन्ततः उसी या लेखांकन के किसी अन्य सर्कल में संबंधित क्रेडिट या डेबिट द्वारा समाशोधित किये जाते हैं।

पिछले तीन वर्षों के लिए उचन्त एवं प्रेषण शीर्ष के तहत शेष की स्थिति नीचे **तालिका 4.16** में दी गई है।

तालिका 4.16: उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के अंतर्गत शेष

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	लघु शीर्ष	2019-20		2020-21		2021-22	
	मुख्य शीर्ष -8658 उचन्त						
		नामे	जमा	नामे	जमा	नामे	जमा
1.	101 – पीएओ उचन्त	168.25	48.83	143.76	8.04	103.83	9.79
	निवल	**नामे 119.42**		**नामे 135.72**		**नामे. 94.04**	
2.	102 – उचन्त लेखे-सिविल	0.38	76.18	6.69	111.49	0.41	100.24
	निवल	**जमा 75.80**		**जमा 104.80**		**जमा 99.83**	
3.	106 – संचार लेखा कार्यालय उचन्त	-*	-	-*		-*	
	निवल	**नामे-***		**नामे-***			
4.	109 -रिजर्व बैंक उचन्त-मुख्यालय	-#	-@	-#		-#	
	निवल	**नामे -$**		**नामे -#**			
5.	112 – स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) उचन्त	-	42.98	-	136.75	-	26.62
	निवल	**जमा 42.98**		**जमा 136.75**		**जमा 26.62**	
6.	123 – अखिल भारतीय सेवा अधिकारी समूह बीमा योजना	-	0.17	-	0.17	-	0.19
	निवल	**जमा 0.17**		**जमा 0.17**		**जमा 0.19**	
7.	129 – सामग्री क्रय परिशोधन उचन्त लेखा	-	(-) 3.27	-	(-) 3.50	-	(-) 3.50
	निवल	**जमा (-) 3.27**		**जमा (-) 3.50**		**जमा (-) 3.50**	
8.	139 –स्रोत पर जीएसटी कटौती उचन्त	-	33.62	-	52.70	-	54.18
	निवल	**(जमा) 33.62**		**जमा 52.70**		**जमा 54.18**	
	निवल योग	**(जमा) 29.88**		**(जमा) 155.20**		**(जमा) 83.28**	
	मुख्य शीर्ष 8782- रोकड़ प्रेषण						
9.	102 – पी. डब्लू. प्रेषण	27.98	30.57	26.47	28.78	26.46	28.82
	निवल	**जमा 2.59**		**जमा 2.31**		**जमा 2.36**	
10.	103 – वन प्रेषण	0.05	0.13	0.05	0.13	0.04	0.01
	निवल	**नामे 0.08**		**जमा 0.08**		**नामे 0.03**	
11.	108 – अन्य विभागीय प्रेषण	0.03	-	0.03	-	0.03	-
	निवल	**नामे 0.03**		**नामे 0.03**		**नामे 0.03**	
12.	129 – इन्दिरा गाँधी नहर परियोजना के अन्तर्गत हस्तान्तरण	77.41	76.67	77.41	76.67	0.74	-
	निवल	**नामे 0.74**		**नामे 0.74**		**नामे 0.74**	
	निवल योग	**(जमा) 1.74**		**(जमा) 1.62**		**(जमा) 1.56**	

* ₹588 केवल, # ₹ 4,213 केवल @ ₹ 240 केवल $ ₹ 3,973 केवल

पिछले तीन वर्षों के लिए मुख्य उचन्त एवं प्रेषण शीर्षों के तहत सकल आंकड़ों की स्थिति दर्शाती है कि वित्त लेखों में मुख्य शीर्ष '8658-उचंत लेखों' के अन्तर्गत कुल निवल शेष में 2020-21 से 2021-22 तक ₹ 71.92 करोड़ की जमा शेष कमी दर्ज की गई है।

डीडीआर शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेष

प्रतिकूल शेष ऋणात्मक शेष हैं जो उन लेखा शीर्षों के अंतर्गत प्रदर्शित होते हैं जहां ऋणात्मक शेष नहीं होना चाहिए।

31 मार्च 2022 को ₹ 4,182.71 करोड़ की राशि के 11 मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत ऋण, जमा और प्रेषण (डीडीआर) शीर्षों के तहत प्रतिकूल शेष के 57 मामले[4] थे। प्रतिकूल शेष मुख्य रूप से नगर परिषदों/नगर पालिकाओं के कर्मचारियों के पेंशन निधि (₹ 2,803.44 करोड़) के थे। इन डीडीआर शीर्षों के अन्तर्गत प्रतिकूल शेषों का मिलान और समायोजन प्राथमिकता के आधार पर किए जाने की आवश्यकता है।

4.9 विभागीय आंकड़ों का मिलान

आँकड़ों का मिलान और सत्यापन वित्तीय प्रबन्धन का एक महत्वपूर्ण घटक है जो प्राप्ति और व्यय के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण और गलत प्रविष्टियों को दर्ज होने से रोकता है। सावि एवं लेनि के नियम 11 (3) के अनुसार, सभी बजट नियंत्रण अधिकारियों को राजस्थान सरकार की प्राप्तियों और व्ययों के आँकड़ों को महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान द्वारा लेखाबद्ध आँकड़ों से मिलान करना आवश्यक है।

वर्ष 2021-22 के दौरान, नियंत्रण अधिकारियों द्वारा (i) कुल व्यय ₹ 2,91,191.02 करोड़ और (ii) कुल प्राप्तियों ₹ 2,87,688.38 करोड़ का शत प्रतिशत अंक मिलान किया गया। वास्तव में, गत पांच वर्षों से राज्य सरकार व्यय एवं प्राप्तियों का 100 प्रतिशत अंक मिलान पूर्ण करती रही है।

4.10 नकद शेषों का मिलान

'रिजर्व बैंक के पास जमा' का शेष सरकारी लेखे के अनुसार शेष को प्रदर्शित करता है, जिसमें 15 अप्रैल 2022 तक भारतीय रिजर्व बैंक को सूचित अन्तर सरकारी मौद्रिक परिशोधन शामिल है। खाते में दर्शाए गए आँकड़ो [₹ 281.72 करोड़ (नामे)] और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित किए गए [₹ 289.03 करोड़ (जमा)] आँकड़ो के बीच ₹ 7.31 करोड़ (नामे) का निवल अंतर था । इसमें से ₹ 3.49 करोड़ (नामे) का अंक मिलान कर निपटान कर दिया गया है, जबकि ₹ 0.06 करोड़ (जमा) अंक मिलान हेतु लंबित है (जून 2022)।

4. खाद्य संग्रह और भंडारण के लिए ऋण (एक प्रकरण: केवल ₹ 0.03 करोड़); सड़क परिवहन के लिए ऋण (एक प्रकरण: केवल ₹ 200); सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण (एक प्रकरण: केवल ₹ 7,000); सरकारी कर्मचारियों आदि को ऋण (45 प्रकरण: ₹ 2.87 करोड़); राज्य भविष्य निधि (एक प्रकरण: ₹ 0.01 करोड़); बीमा और पेंशन निधि (एक प्रकरण: ₹ 2,803.44 करोड़); सामान्य और आरक्षित निधि (एक प्रकरण: ₹ 1,372.76 करोड़); सिविल जमा (एक प्रकरण: केवल ₹ 10); स्थानीय निधियों के लिए जमा (एक प्रकरण: ₹ 0.01 करोड़); एक ही अधिकारी को लेखा भेजने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण और समायोजन (दो प्रकरण: ₹ 0.09 करोड़) और उचंत खाता (दो प्रकरण: ₹ 3.50 करोड़)

4.11 लेखांकन मानकों की अनुपालना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 150 के अनुसार, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर, भारत के राष्ट्रपति संघ एवं राज्यों के लेखों के लिए प्रपत्र निर्धारित कर सकते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने वर्ष 2002 में जवाबदेही तंत्र को बढ़ावा देने हेतु सरकारी लेखांकन एवं वित्तीय रिपोर्टिंग के मानक निर्धारित करने के लिए सरकारी लेखा मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति ने अब तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अधिसूचित किए। निम्न **तालिका 4.17** इन तीन लेखांकन मानकों के अनुपालन की स्थिति को दर्शाती है।

4.17: लेखांकन मानकों का अनुपालन

क्र.सं.	लेखांकन मानक	आईजीएएस का सारांश	राज्य सरकार द्वारा अनुपालना	कमी का प्रभाव
1.	**आईजीएएस : 1** *सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूतियां- प्रकटीकरण की आवश्यकताएं*	इस मानक में सरकार को अपने वित्तीय विवरणों में वर्ष के दौरान (वर्ग और क्षेत्रवार) अधिकत्तम प्रतिभूति राशि के साथ वृद्धि, कमी, नहीं चुकाई गई, चुकाई गई और वर्ष के आरम्भ और अन्त में बकाया, अनुदानदाता कमीशन और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों का प्रकटीकरण वांछित है।	अनुपालना की गई	---
2.	**आईजीएएस : 2** *सहायतार्थ अनुदान का लेखांकन और वर्गीकरण*	सहायतार्थ अनुदान को अनुदानदाता के लेखों में राजस्व व्यय और अनुदानग्राही के लेखों में राजस्व प्राप्ति के रुप में अंतिम उपयोग पर विचार किये बिना वर्गीकृत करना चाहिए। वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान का प्रकटीकरण किया जाना आवश्यक है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया गया, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा वस्तु के रूप में दिए गए सहायतार्थ अनुदान की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत नहीं की गयी है । आगे, राजस्व व्यय के रूप में सहायतार्थ अनुदान के वर्गीकरण की अनुपालना न होने पर अनुच्छेद 3.5.4 में चर्चा की गयी है।	लेखांकन मानक के अनुसार सहायतार्थ अनुदान की प्रकृति के प्रकटीकरण का अभाव पाया गया।
3.	**आईजीएएस : 3** *सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम*	यह सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों के पूर्ण, सही और एक समान लेखांकन और पर्याप्त प्रकटीकरण सुनिश्चित करने के लिए अपने वित्तीय विवरणों में दिये गये ऋण एवं अग्रिमों की पहचान, मात्रा और मूल्यांकन और रिपोर्टिंग से सम्बन्धित है।	आंशिक रुप से अनुपालन किया। अवसूलनीय ऋणों और अग्रिमों को बट्टे खाते डालने, राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋणों एवं अग्रिमों पर इकाई वार जमा ब्याज का विवरण, वर्ष के दौरान वितरित नए ऋण एवं अग्रिम के कारण, और बकाया मूलधन और ब्याज के विवरण जहाँ विस्तृत लेखे राज्य द्वारा संधारित किये जाते हैं, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए थे।	राज्य सरकार द्वारा ऋण और अग्रिम के प्रकटीकरण की आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है ।

4.12 दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि

सामान्य वित्तीय और लेखा नियम भाग-I के नियम 20 में यह प्रावधान है कि सरकार द्वारा या सरकार की ओर से रखा हुआ सार्वजनिक धन, विभागीय राजस्व, प्राप्तियों, टिकटों, भंडार या अन्य सम्पत्ति की हानि दुर्विनियोजन, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान, हानि इत्यादि के कारण नुकसान जो कोषालय या किसी अन्य कार्यालय या विभाग में ज्ञात होती है की सूचना संबंधित अधिकारी अगले उच्च प्राधिकारी के साथ-साथ महालेखाकार को तुरन्त देंगे।

राज्य सरकार ने 31 मार्च 2022 तक विभिन्न विभागों में सरकारी धन के दुर्विनियोजन (299) और चोरी/हानि (466) के राशि ₹ 118.50 करोड़ के 745 प्रकरण सूचित किये, जिन पर अंतिम कार्यवाही 30 जून 2022 तक लंबित थी। विवरण नीचे **तालिका 4.18** में दिया गया है।

तालिका 4.18: दुर्विनियोजन, हानि, चोरी, इत्यादि के लंबित मामले

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	सरकारी सामग्री के दुर्विनियोजन/हानि/चोरी के प्रकरण		दुर्विनियोजन, हानि, चोरी इत्यादि के लंबित मामलों के अंतिम निस्तारण में देरी के कारण					
				विभागीय और आपराधिक अन्वेषण प्रतीक्षित		विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी परन्तु अंतिम रूप नहीं दिया गया (वसूली और अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित)		आपराधिक कार्यवाही पूर्ण परन्तु राशि की वसूली लंबित (न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित)	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	निर्माण[5]	248	9.66	60	4.53	171	3.41	17	1.72
2.	शिक्षा[6]	149	51.69	46	41.40	74	8.91	29	1.38
3.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज	118	23.54	97	20.64	18	1.35	3	1.55
4.	चिकित्सा[7]	68	7.52	41	5.12	6	0.97	21	1.43
5.	राजस्व[8]	58	12.98	40	5.05	11	7.63	7	0.30
6.	स्वायत्त शासन	8	0.45	1	0.03	7	0.42	0	0.00
7.	अन्य[9]	96	12.66	29	1.84	54	9.60	13	1.22
	योग	**745**	**118.50**	**314**	**78.61**	**341**	**32.29**	**90**	**7.60**

5. **निर्माण विभाग:** पीडब्लूडी., सिंचाई, जीडब्लूडी, आईजीएनपी, वन और पीएचईडी. विभाग।
6. **शिक्षा विभाग:** प्राथमिक, माध्यमिक, साक्षरता और सतत शिक्षा, कॉलेज, संस्कृत शिक्षा, आरएसईआरटी उदयपुर, पॉलिटेक्निक कॉलेज, डाईट, समग्र शिक्षा अभियान, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान और आईटीआई।
7. **चिकित्सा विभाग:** चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जननी सुरक्षा योजना (परिवार कल्याण), मेडिकल कॉलेज, परिवार कल्याण, आयुर्वेद, आईईसी, एनएचआरएम, ईएसआईसी और आरएमसीएल।
8. **राजस्व विभाग:** भूमि, परिवहन, स्थान, मुद्रांक और पंजीकरण, वाणिज्यिक कर, राज्य उत्पाद शुल्क और औपनिवेशीकरण।
9. **विविध विभाग:** देवस्थान, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड, उद्योग, खाद्य और नागरिक आपूर्ति, श्रम, मुद्रण और स्टेशनरी, आरपीएससी, सैनिक कल्याण बोर्ड, समाज कल्याण, पर्यटन, डीटीए, आरसीडीएफ, विश्राम भवन, एसआईपीएफ, अल्पसंख्यक, जेल, न्याय , पुलिस, राहत, महिला एवं बाल कल्याण, पुरातत्व, संग्रहालय, सचिवालय, अभियोजन, बागवानी, वाटरशेड विकास और मृदा संरक्षण, राज्य लॉटरी (डीटीए (लघु बचत)), पर्यावरण, स्वच्छता, जल और सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, आरएसएसीएल, सूचना और जन सम्पर्क, टीएडी और पशुपालन।

लंबित प्रकरणों का विभाग वार विभाजन ***परिशिष्ट 4.7*** में दिया गया है।

आगे विश्लेषण उन कारणों को इंगित करता है जिनके कारण प्रकरण बकाया थे और निम्नलिखित **तालिका 4.19** में सूचीबद्ध विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:

तालिका 4.19: दुर्विनियोजन, हानियों, चोरी इत्यादि के प्रकरणों के बकाया रहने के कारण

क्र.सं.	प्रकरणों के देरी/बकाया के कारण	प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	विभागीय कार्यवाही प्रतीक्षित	314	78.61
2.	वसूली के आदेश प्रतीक्षित	306	31.65
3.	अपलेखन के आदेश प्रतीक्षित	35	0.64
4.	न्यायिक प्रक्रिया के कारण लंबित	90	7.60
	योग	**745**	**118.50**

लंबित दुर्विनियोजन प्रकरणों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि प्रकरण मुख्यतः रोकड़ पुस्तिका में जालसाजी, भंडार में रखे स्टॉक में हेराफेरी, जाली बिलों/चैकों द्वारा भुगतान/आहरण, सरकारी धनराशि बैंक में जमा नहीं करने इत्यादि से सम्बन्धित थे। चोरी/हानि के प्रकरण रोकड़, भंडार/स्टॉक, वाहन तथा वाहनों के कलपुर्जे, मशीनों एवं उपकरण इत्यादि की चोरी से सम्बन्धित थे। कुल 745 प्रकरणों में से राशि ₹ 32.29 करोड़ के 341 (306+35) प्रकरण वसूली/अपलेखन के लिए आदेशों की अपेक्षा में लम्बित थे तथा शेष प्रकरण विभागीय और न्यायिक कार्यवाही की अपेक्षा में लंबित थे।

4.13 पेंशन का अधिक/कम भुगतान

कोषागार द्वारा निर्धारित जाँच करने में विफलता

राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम,1996 के परिशिष्ट VI (क्रम संख्या 9) प्रावधित करता है कि कोषाधिकारी (टीओ) अपने द्वारा संधारित अभिलेखों के सन्दर्भ में बैंक द्वारा किए गए भुगतानों की यथार्थता की जांच करेगा तथा इसके बाद लेनदेन को उसके लेखों में शामिल करेगा।

10 बैंकों, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण निदेशालय, 33 कोषागारों तथा 112 उप कोषागारों के अभिलेखों की नमूना जांच (अप्रैल 2021 से मार्च 2022) में पता चला कि 256 पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन राशि ₹ 107.73 लाख का अनियमित एवं अधिक भुगतान किया गया तथा 40 पेंशनभोगियों को कुल ₹ 34.90 लाख पेंशन का कम भुगतान किया गया।

वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग ने सूचित किया (सितम्बर 2022) कि अधिक भुगतान के विरुद्ध राशि ₹ 58.49 लाख की वसूली कर ली गई है तथा पेंशन के कम भुगतान के मामलों में पेंशनधारियों को ₹ 21.83 लाख की राशि का भुगतान कर दिया गया है। विवरण ***परिशिष्ट 4.8*** में दिया गया है।

पेंशनभोगियों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन के अधिक/कम भुगतान के मामलों का उल्लेख वर्ष 2013-14 से 2020-21 के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी किया गया है। विभाग के आदेश/निर्देश (अप्रैल 2014/फरवरी 2017) और भविष्य में पेंशन के भुगतान में इस तरह की अनियमितताओं की पुनरावृति से बचने के सम्बन्ध में जन लेखा समिति (पीएसी) (फरवरी 2018) की सिफारिश का सतर्कता से पालन नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पेंशन के अधिक/कम भुगतान के मामलों की पुनरावृति हुई।

4.14 स्वायत्त निकायों के लेखों/पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतीकरण

राज्य के 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों[10] के लेखों की लेखापरीक्षा सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) और 20(1) के अन्तर्गत सीएजी को सौंपी गयी है। जून 2022 तक, सभी 44 स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के वर्ष 2020-21 तक के लेखे, सिवाय कैम्पा के वर्ष 2016-17 से 2020-21 तक, और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल (बीओसीडब्लू) के 2019-20 तथा 2020-21 के लेखों को छोड़कर प्राप्त हो चुके है। नीचे **तालिका 4.20** में वर्णित एक निकाय के मामले में प्रतिकूल राय दी गई थी:

तालिका 4.20: प्रतिकूल राय वाले प्रकरण

निकाय /प्राधिकरण	दी गई राय का प्रकार	कारण
राजस्थान खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, राजस्थान (2019-20 के लेखे)	सत्य और निष्पक्ष दृष्टि नहीं	टिप्पणियों के प्रभाव के कारण, संपत्तियों को ₹ 10.42 करोड़ से अधिक बताया गया और देनदारियों को ₹ 93.19 करोड़ से अधिक बताया गया। व्यय पर आय की अधिकता को ₹1.23 करोड़ से अधिक बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप लेखों में दिखाए गए ₹ 0.77 करोड़ के अधिशेष को ₹ 0.46 करोड़ के घाटे में परिवर्तित किया गया।

4.15 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही

राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2020-21 राज्य विधानसभा में सितम्बर 2022 में प्रस्तुत किया गया था। जलेस ने वर्ष 2017-18 तक राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर चर्चा और सिफारिशें की । जलेस ने अप्रैल 2021 से मार्च 2022 की अवधि के दौरान वर्ष 2017-18 के प्रतिवेदन के दो विभागों

10. राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड; राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग; राजस्थान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू), जयपुर; राजस्थान विद्युत नियामक आयोग; राजस्थान रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (आरईआरए); राज्य प्रतिपूरक वनीकरण प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (CAMPA); राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (02) एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (36)।

(वित्त तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग) से संबंधित एक अनुच्छेद पर चर्चा की। वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के प्रतिवेदन से संबंधित 11 अनुच्छेद चर्चा के लिए लंबित हैं। ये अनुच्छेद प्रमुख परियोजना/नीतिगत पहलों और बजट भाषण पर की गई कार्यवाही की स्थिति, चयनित अनुदानों की समीक्षा, स्थानीय निधियों को जमा करने, उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में देरी, निजी निक्षेप खाते, लेखों का प्रस्तुतिकरण/स्वायत्त निकायों, विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम/निगम/कंपनियों के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और दुर्विनियोग, हानि, चोरी, आदि से संबंधित हैं।

अनुच्छेदों पर बकाया एटीएन की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2019-20 के अनुच्छेदों पर दो विभागों (जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित दो एटीएन 30 सितम्बर 2022 तक लम्बित थे।

4.16 निष्कर्ष

राज्य सरकार ने नियमों का उल्लंघन करते हुए 31 मार्च 2022 तक ₹ 6,767.15 करोड़ पाँच आरक्षित निधियों/जमा निधियों में कम हस्तांतरित किए।

निर्दिष्ट अवधि के दौरान ₹ 1,833.21 करोड़ की राशि के 770 उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करना न केवल वित्तीय जवाबदेही तंत्र को कमजोर करता है बल्कि वांछित उद्देश्य के लिए अनुदान का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करने में विभागीय अधिकारियों की विफलता को भी इंगित करता है। विभागों ने जीएफ एंड एआर का उल्लंघन कर महालेखाकार (लेखा एवं हक़) को स्वीकृतियां और उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के संबंध में आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की।

एसी बिल पर्याप्त अवधि बीत जाने के बावजूद असमायोजित रहे और महत्वपूर्ण/संपूर्ण राशि को चालान के माध्यम से वापस जमा किया जाना इंगित करता है कि वास्तविक आवश्यकता के उचित मूल्यांकन के बिना एसी बिलों के माध्यम से निधियों का आहरण किया गया था।

2,053 पीडी खातों में पड़े हुए ₹ 18,220.62 करोड़ के अव्ययित शेष का हस्तांतरण राज्य की समेकित निधि में न करने से सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और हेराफेरी का जोखिम होता है। पांच वर्षों तक निष्क्रिय रहने के बावजूद 52 पीडी खातों को बंद न करना सावि एवं लेनि और राजस्थान कोषागार नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है और कोषागारों के स्तर पर अनुश्रवण की कमी को दर्शाता है।

लघु शीर्ष 800-अन्य व्यय/प्राप्तियों के तहत बड़ी राशि बुक करना वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता को प्रभावित करती है। एक ही मुख्य शीर्ष के अंतर्गत उपयुक्त लघु शीर्ष उपलब्ध होने पर भी, लघु शीर्ष 800 के अंतर्गत बुक करना लेखों की पारदर्शिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है।

4.17 सिफारिशें

- राज्य सरकार निधियों के निर्दिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने और राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का सही चित्रण करने के लिए सांविधिक आरक्षित निधियों/जमा निधियों में प्राप्तियों का शीघ्र हस्तान्तरण सुनिश्चित कर सकती है।

- विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के संबंध में निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को एक कठोर अनुश्रवण तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

- वित्त विभाग को वर्तमान में लघु शीर्ष '800' के अंतर्गत आने वाली सभी मदों की व्यापक समीक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी सभी प्राप्तियों और व्यय को उचित लेखा शीर्ष के तहत दर्ज किया गया है।

- दुर्विनियोजन, हानि, चोरी आदि के मामलों में त्वरित कार्यवाही करने और ऐसे मामलों की पुनरावृति रोकने के लिए आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सरकार एक समयबध्द रुपरेखा तैयार करने पर विचार कर सकती है।